



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 20.07.2021

थाना कैराना

जनपद में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मुबारिक पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 66/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2. मु0अ0स0 606/17 धारा 147,148,149,307,336,353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2. का0 नीरज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा में लाए “जानलेवा हमले” के अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 20.07.2021 को थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रजत उर्फ भूरा पुत्र आदर्श निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली को पुलिस अभिरक्षा में लाया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद कराया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.06.2021 को वादी श्री प्रमोद पुत्र भोपाल निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा खुद पर हुए जानलेवा फायर के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें रजत उर्फ भूरा उपरोक्त द्वारा दिनांक 06.07.2021 माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल चला गया था, जिसके संबंध में थाना बाबरी पुलिस द्वारा न्यायालय से अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेने के लिए प्रत्यावेदन किया गया था। उक्त संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा बाबरी पुलिस को आज दिनांक 20.07.2021 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया, जिसको बाबरी पुलिस अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त की निशादेही पर 01 अवैध हथियार बरामद कराया गया है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरण:-

1- घटना में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा 315 बोर।



थाना गढीपुख्ता

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ हुए कुकर्म के मामले में बाल अपचारी किशोर हिरासत में लिया गया ।

आज दिनांक 20.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे बालकों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ हुए कुकर्म के मामले में 01 बाल अपचारी किशोर को हिरासत में लिया गया है । हिरासत में लिये गये अपचारी किशोर के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि विगत दिनों थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग बालक के साथ हुए कुकर्म के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी गयी । दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी गढीपुख्ता को दिये गये ।

हिरासत में लेने वाले पुलिस बाल कल्याण अधिकारी व टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक महावीर सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 2.है0का0 नरेश थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 3.का0 सागर सिंह थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
- 4.का0 पवनीश थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।